न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 771 / 2018

प्रार्थीगण – जितेन्दकुमार पुत्र बंशीलाल नाबालिग जरिये कुदरती वली अरूणकुमार पुत्र श्री बंशीलाल जाति पालीवाल ग्राम माण्डियावास हाल निवासी नरेन्द्र कॉलोनी बाडमेर तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)

बनाम

विप्रार्थी :–
1. भीमाराम पुत्र दौलाराम जाति पालीवाल निवासी माण्डियावास
2. पुखराज पुत्र ईश्वरराम जाति पालीवाल निवासी माण्डियावास
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी.ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :–
1. श्री प्रार्थीगण रूगाराम कडवासरा
2. श्री विप्रार्थीगण अचलाराम थोरी

आदेश दिनांक :– 28.12.2021

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 1085 / 547 रकबा 29 बीघा 3 विस्वा भूमि सरहद मौजा माण्डियावास हल्का पटवारी कूडी, भू–अभिलेख क्षेत्र पचपदरा में कृषि साधनो के उपयोग–उपभोग व आवागमन हेतु विप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 546 रकबा 6 बीघा व खेत खसरा नम्बर 1156 / 545 रकबा 44 बीघा 3 विस्वा भूमि सरहद मौजा माण्डियावास की भूमि मे से 15 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, अनुसार रास्ता घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या –2 के वकील उपस्थित। तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व / 2020 / 1951 दिनांक 9.10.2020 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा माडियावास के खेत खसरा न0 1085 / 547 मे आवागमन हेतु उपयुक्त रास्ता खसरा नम्बर खेत खसरा नम्बर 1156 / 545 रकबा 44 बीघा 3 विस्वा व खसरा सख्या 546 रकबा 6 बीघा प्रस्तावित रकबा कमशः 0.06, 0.04 बीघा कुल रकबा 10 बिस्वा प्रस्तावित किया गया है प्रस्तावित खसरे तक आवागमन हेतु मौका फर्द अनुसार बिन्दु ए से ए–1 तक रास्ता मौके पर चालू है। प्रस्तावित भूमि [illegible] मान डी0एल0सी दर 72360 / –रूपये प्रति बीधा है। तत्पश्चात पुनः दिनांक [illegible] को तहसीलदार पचपदरा से मौका फर्द रिपोर्ट प्राप्त हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:43:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र सहमति बाबत पेश किया गया जिस पर विप्रार्थी संख्या–2 द्वारा भी सहमति प्रकट की गई। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार रास्ता कटान करने की सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण संख्या 2 को सुना गया, प्रार्थी ने तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 6.12.2021 के अनुसार रास्ता आवागमन के

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी बालोतरा (बाड़मेर)

लिए प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने के लिए निवेदन किया गया तथा पेरोकार सरकार ने भी तहसीलदार, पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता प्रार्थी से नियमानुसार डीएलसी रेट की देय दुगनी राशि जमा कराने पर दिया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है। हमनें पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । प्रार्थी के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार एवं तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 16.12.2021 के अनुसार खसरा नंबर 1085/547 रकबा 29 बीघा 3 विस्वा मौजा भाण्डियावास के खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु विप्राथीगण के खातेदारी खेत खसरा नंबर खसरा नम्बर 1156/545 रकबा 44 बीघा 3 विस्वा व खसरा सख्या 546 रकबा 6 बीघा में से 15 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु नक्शा मानचित्र पुश्त पर अंकित बरंग लाल के अनुसार अवलोकन किया गया। इसके अलावा प्रार्थीगण के आवागमन के लिए अन्य कोई विकल्प में रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार, पचपदरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे मौका एवं रेकार्ड से जाचं की गई । रास्ते की स्थिति रिपोर्ट की पुश्त पर अंकित नजरी मानचित्र में दर्शाए गये अनुसार है। चुंकि प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु चाहा गया है। इस संबंध में सयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के द्वारा राजकीय भूमि में से रास्ते के लिए प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित किया गया है। प्रार्थीगण एव विप्रार्थी संख्या –2 के आपसी सहमती से प्रार्थीगण के आवेदन पत्र को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार कर मौजा भाण्डियावास खसरा 1085/547 रकबा 29 बीघा 3 विस्वा भूमि में आवागमन करने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नंबर 1156/545 रकबा 44 बीघा 3 विस्वा व खसरा सख्या 546 रकबा 6 बीघा में से 15 फीट चौडा रास्ता सलग्न तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त फर्द मौका दिनांक 6.12.2021 में चिन्हित बरंग लाल, के अनुसार रकबा कमशः 0.06, 0.04 बीघा कुल रकबा 10 बिस्वा भूमि रास्ता स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण इस हेतु डी.एल.सी रेट 72360/– प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए प्रस्तावित रकबा कमशः 0.06, 0.04 बीघा कुल रकबा 10 बिस्वा प्रभावित भूमि की राशि 36180 रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति के रूप में राशि रूपये 72360/– रूपये राज्य सरकार के खाते में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर ही तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। मौका रिपोर्ट दिनांक 06.12.2021 में अंकित किया गया नक्शा इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:43:03 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 27.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (बाड़मेर)